उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून (Website : www.ubter.in, www.ubterec.in)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम में 424 संविदा परिचालकों के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

विज्ञापन सं0 1538 / उप्राशिप / स0परि0भ0 / 2017–18 दिनांकः 08 सितम्बर 2017

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	**09 सितम्बर 2017 (शनिवार)**
वेबसाईट www.ubter.in अथवा www.ubterec.in पर आनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि	**12 सितम्बर 2017 (मंगलवार)**
वेबसाईट www.ubter.in अथवा www.ubterec.in पर आनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	**11 अक्टूबर 2017 (बुद्धवार)**
वेबसाईट www.ubter.in अथवा www.ubterec.in पर आनलाईन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि	**12 अक्टूबर 2017 (गुरूवार)**
लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथिः– (अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या के अनुसार निर्धारित होगी)	**26 नवम्बर 2017 (रविवार)**

अति महत्वपूर्ण निर्देशः–

(1) आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, इस पद के लिए उत्तराखण्ड सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि आनलाईन फार्म में सनिरीक्षा कठिन होती है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। साईबर कैफे से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढें। शुल्क जमा होने तक वे आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। शुल्क जमा होने पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रविष्टि को संशोधित नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है।

(03) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 (बुद्धवार) (रात्रि 11.59:59 बजे तक) तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। **सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Register Now" बटन को "Click" करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।**

4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में परिषद् से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग / साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

(5) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनका वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / अनुभव / आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को परिषद् की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 03 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नही होगा कि उसका अभ्यर्थन परिषद् द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नही था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी परिषद् की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। परिषद् में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों / प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।

(10) एक अभ्यर्थी के नाम से एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगें।

(11) आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि वे इस पद के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हतायें एवं शैक्षिक अर्हतायें आदि धारित करते हैं। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित हो जायेंगे।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम में 424 संविदा परिचालकों के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

महाप्रबन्धक (प्रशासन/कार्मिक) उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून के द्वारा पत्र सं0 824/II(1)-संविदा परिचालक भर्ती)–2016–17 दिनांक 25 अगस्त 2017 के माध्यम से प्राप्त अधियाचन के क्रम में उत्तराखण्ड परिवहन निगम में संविदा परिचालक के 424 पदों पर चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

01. रिक्तियों की संख्याः– रिक्तियों की कुल संख्या 424 एवं विवरण निम्नवत् हैः–

श्रेणी	OP (OPEN)	WO (UTTARAKHAND WOMEN)	EX (EX-SERVICEMAN)	DFF (DEPENDENT OF FREEDOM FIGHTERS)	TOTAL
सामान्य	169	80	13	05	267
अनुसूचित जाति (SC)	51	24	04	02	81
अनुसूचित जनजाति (ST)	11	05	01	00	17
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	37	18	03	01	59
योग					424

नोटः– रिक्तियों की संख्या बढायी या घटायी जा सकती है।

02. अनिवार्य शैक्षिक अर्हताः– संविदा परिचालक पद हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष परीक्षा या उच्च परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिये।

03. सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरणः– संविदा परिचालक के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण व उसकी वैधता का होना अनिवार्य होगा। **(शासनादेश संख्या–72/XXX (2)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2014)** शासन के पत्रांक 809/**XXX**(2)/2010–3(1)/2010 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्रको सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।''

04. आयुः– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1–7–2017 को 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

अधिकतम आयु सीमा में छूट : (क) शा0सं0–1399/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग** के निवासी/अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ख)उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्या 1244/ XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई 2005)।

(ग) उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिक** को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये यह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है, को उच्चतम् आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (नियमावली 1977 के अनुसार)।

नोटः– जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे वे नियुक्ति प्राधिकारी/परिषद् को तत्संबंधी प्रमाण–पत्र भी अवश्य प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उच्चतम् आयु सीमा मे छूट अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही उक्त अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें अन्यथा आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी।

05. संविदा परिचालकों का मानदेयः– संविदा परिचालकों के मानदेय का भुगतान उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप देय होता है। वर्तमान में देय दरें निम्नवत हैं, जिनमें समय–समय पर आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाती है तथा मानदेय के अतिरिक्त लक्षित आय एवं लक्षित कि0मी0 अर्जित करने पर प्रोत्साहन भी देय होता हैः–

मानदेयः–

मार्ग श्रेणी	वर्तमान में प्रति कि0मी0 निर्धारित देय दर
मैदानी मार्ग	₹ 1.55 पैसे
पर्वतीय मार्ग	₹ 1.86 पैसे

06. पद का स्वरूपः– संविदा।

07. राष्ट्रीयता :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–
(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका याकिसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो : परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले। परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें; परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

08. चरित्रः– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

09. वैवाहिक प्रास्थितिः– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

10. शारीरिक स्वस्थताः– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त–पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

11. आरक्षणः–1. ऊर्ध्व आरक्षण– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

2. क्षैतिज आरक्षण– उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। **आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(क)''**भूतपूर्व सैनिक**'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–**(एक)** अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या **(दो)** चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या **(तीन)** जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वय ं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या **(चार)** विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं– **(एक)** निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, **(दो)** सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और **(तीन)** शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः– भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ख) ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के **(एक)** पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) **(दो)** पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

नोटः–

1. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04% तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य होगा।
2. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।
4. आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदत पत्र की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना होगा।

12. आवेदन पत्र का स्वरूपः– उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा **संविदा परिचालक** के 424 पदों पर पर आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in अथवा www.ubterec.in पर आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन पत्र के प्रारम्भ में दी गयी है।

13. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रियाः–

(01) अभ्यर्थी परिषद् की वेबसाइट www.ubter.in अथवा www.ubterec.in पर जाएं।

(02) ऑनलाइन आवेदन हेतु **Click Here to Apply Now** पर "**Click**" करें।

(03) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(04) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां सही भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Register Now** पर **Click** करें।

(05) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (**20 KB** से कम न

हो तथा **50 KB** से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर **JPG Format** (**10 KB** से कम न हो तथा **20 KB** से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

(06) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Submit** पर **Click** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।

(07) आवेदन पत्र के साथ आरक्षण की पात्रता संबंधी प्रमाण–पत्र (**100 KB** से कम न हो तथा **200 KB** से अधिक न हो) अपलोड (संलग्न) किया जाएगा।

(08) आवेदन पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख
लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

(09) अभ्यर्थी आवेदन/परीक्षा शुल्क **Net Banking/Debit Card/Credit Card** द्वारा जमा कर सकते हैं।

(10) अभ्यर्थी शुल्क जमा होने तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। शुल्क जमा होने पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा।

(11) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑन–लाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

14. **शुल्कः– ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन–पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा।** आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन (**Net Banking/Debit or Credit Card**) के माध्यम से जमा कर सकता है। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है **तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।** अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाइन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन/परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य हैः–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
1	अनारक्षित (सामान्य)/ओ0बी0सी0	रू0 500/– मात्र
2	अनुसूचित जाति/जनजाति	रू0 300/– मात्र

Bank Transaction Fee अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगी।

15. **शारीरिक स्वस्थताः** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व अभ्यर्थी से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–एक भाग–दो के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

16. **चयन की प्रक्रियाः–** चयन के लिये एक वस्तुनिष्ठ (Objective Type Questions with Multible Choices) प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, अंकगणित एवं सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी।

(i) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iii) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ होगी द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड–** वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगाः–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(घ) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचने/छेड़छाड़ किया जाना वर्जित होगा।

टिप्पणीः— यदि लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर—बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

17. महत्वपूर्ण निर्देश :—

(01) परिषद् द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की उत्तराखण्ड परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) सेवानियमावली—2015 में उल्लिखित सुसंगत प्राविधानों के अधीन एवं समय—समय पर परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएगें उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

(03) परिषद् अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन—पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(04) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण—पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नही होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(05) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(06) प्रश्नगत परीक्षा हेतु शुल्क केवल **Net Banking/Debit or Credit Card** के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(07) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु परिषद् की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(08) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परिषद् की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर परिषद् द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(09) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

(10) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(11) परीक्षा भवन में आचरणः– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था ना फैलाए तथा परीक्षा संचालन हेतु परिषद् द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें, ऐसी किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(12) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)ः– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(13) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों कें सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(14) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः– अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हे परिषद् की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरूद्व अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी।

(15) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि परिषद् को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(16) परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु परिषद् का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(17) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी परिषद् की वेबसाइट **www.ubter.in** अथवा **www.ubterec.in** का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

सचिव